16.1.25 वकील वादी उपस्थित। वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश से इजलास सुनाया गया।

GCMS
2024/476

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.21 16:08:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला—श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :—संदीप कुमार (आर. ए. एस.)

प्रकरण सं.— 233/2024 GCMS:-2024/476 दायरा दिनाक 05.08.2024

1. जलकौर
2. जीतो कौर
3. सीतो कौर
4. गुरनाम कौर
5. रामकृष्ण

} पुत्र/पुत्रीयान जुम्मा सिह पुत्र श्री फूमनसिह अकवाम बावरी निवासी भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

— प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आरटीए व सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उपस्थित :— 1. श्री बृजमोहन शर्मा अधिवक्ता — वादीगण
2. पेरोकारराज तहसीलदार सूरतगढ़

दिनांक :— 16.01.2025

—:: निर्णय ::—

पत्रावली पेश हुई। वादीगण ने यह दावा पेशकर निवेदन किया कि वादीगण के पिता जुम्मासिह पुत्र श्री फूमनसिह जाति बावरी (हरिजन) निवासी 59 एफ तहसील करणपुर के नाम से तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 6 डीबीएन की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता न. 28/24 के पत्थर न. 48/283 (36) के किला न. 1 ता 4/1.012 हैक. नहरी, 5/1 में 0.215 हैक. नहरी, 5/2 में 0.038 हैक. गैरमुमकिन रास्ता, 6/1 में 0.215 हैक. नहरी, 6/2 में 0.038 हैक. गैरमुमकिन रास्ता, 7 ता 10/1.012 हैक. नहरी, 11/1 में 0.038 हैक. नहरी, 12 ता 14/0.759 हैक. नहरी, 15/1 में 0.215 हैक. नहरी, 15/2 में 0.038 हैक. गैरमुमकिन रास्ता इस प्रकार कुल 3.580 हैक. नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण के पिता जुम्मा सिह पुत्र श्री फूमनसिह जाति बावरी को जैरवाद रकबा चालक उपनिवेशन हनुमानगढ़ द्वारा आवटन किया गया था। जिसके पश्चात् कार्यालय जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा दिनाक 08.11.1978 को जैरवाद रकबा के खातेदारी अधिकार वादीगण के पिता के नाम से जारी किये गये है। वादीगण के पिता जुम्मासिह पुत्र श्री फूमनसिह के नाम के उक्त रकबा में सहवन से जाति हरिजन दर्ज हो गई है जबकि वादीगण की वास्तविक जाति बावरी है। वादीगण के पिता का दिनाक 15.04.2010 को देहान्त हो चुका है व वादीगण की माता साहब कौर पत्नी जुम्मासिह का भी दिनाक 21.09.2009 को देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादीगण न. 1 ता 5 ही है। इसलिये वादीगण अपने पिता जुम्मासिह पुत्र श्री फूमनसिह जाति बावरी के नाम के उक्त [illegible] बावरी व वादीगण के पिता जुम्मासिह पुत्र श्री फूमनसिह के फौत होने के [illegible] रकबा का विरास्तन इन्तकाल अपने नाम से 1/5, 1/5 हिस्सा में दर्ज करवाना [illegible] है। वादीगण अपने पिता जुम्मा सिह पुत्र श्री फूमनसिह के देहान्त के उपरान्त [illegible] इन्तकाल करवाने के लिये

क्रमश .... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.21 16:08:48 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा वादीगण के पिता जुम्मासिह की जाति हरिजन दर्ज होने के कारण विरास्तन इन्तकाल दर्ज नही किया गया व वादीगण को श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने का कहा इसलिये वादीगण को यह वाद पत्र पेश करना पड़ रहा है यही वाद उत्पन होने का मुख्य कारण है। वादीगण अपने पिता की जाति हरिजन के स्थान पर बावरी व वादीगण के पिता के फौत होने के कारण विरास्तन इन्तकाल की डिक्री जारी की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की और से दिनाक 25.10.2024 को जवाब स्टेट मय पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनाक 23.10.2024 मय जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये। त्तपश्चात् साक्ष्य वादी में वादीया जीतो कौर व सीतोकौर की और से ब्यान प्रस्तुत किये गय।

उभयपक्ष की बहस सुनकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्यो व पटवारी हल्का रिपोर्ट व जाति प्रमाण पत्र से साबित है कि वादीगण के पिता जुम्मासिह पुत्र श्री फूमनसिह के नाम के उक्त रकबा में जाति हरिजन दर्ज है जबकि सही जाति बावरी है व वादीगण के पिता का दिनाक 15.10.2010 को व वादीगण की माता साहबकौर का दिनाक 21.09.2009 को देहान्त हो चुका है इसलिये जैरवाद रकबा के वादीगण को 1/5, 1/5 हिस्सा के खातेदार कृषक घोषित किया जाना उचित समझते है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर चक 6 डीबीएन की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता न. 28/24 के पत्थर न. 48/283 (36) के किला न. 1 ता 4/1.012 हैक. नहरी, 5/1 में 0.215 हैक. नहरी, 5/2 में 0.038 हैक. गैरमुमकिन रास्ता, 6/1 में 0.215 हैक. नहरी, 6/2 में 0.038 हैक. गैरमुमकिन रास्ता, 7 ता 10/1.012 हैक. नहरी, 11/1 में 0.038 हैक. नहरी, 12 ता 14/0.759 हैक. नहरी, 15/1 में 0.215 हैक. नहरी, 15/2 में 0.038 हैक. गैरमुमकिन रास्ता इस प्रकार कुल 3.580 हैक. नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में वादीगण के पिता जुम्मासिह पुत्र श्री फूमनसिह की जाति हरिजन के स्थान पर जाति बावरी दर्ज कर, वादीगण को जुम्मासिह पुत्र फूमनसिह के नाम के उक्त राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी भूमि के 1/5, 1/5 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाता है व इसीनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी होकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर दाखिल हो।

फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.21 16:08:48 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ0 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर

(बइजलास :– सन्दीप कुमार, आर. ए. एस.)

–:: अनवान ::–

1. जलकौर
2. जीतो कौर
3. सीतो कौर
4. गुरनाम कौर
5. रामकृष्ण

पुत्र/पुत्रीयान जुम्मा सिह पुत्र श्री फूमनसिह अकवाम बावरी निवासी भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आरटीए व सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट मुकदमा न. 233 वर्ष 2024 वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री बृजमोहन शर्मा व पैरोकारराज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर चक 6 डीबीएन की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता न. 28/24 के पत्थर न. 48/283 (36) के किला न. 1 ता 4/1.012 हैक. नहरी, 5/1 में 0.215 हैक. नहरी, 5/2 में 0.038 हैक. गैरमुमकिन रास्ता, 6/1 में 0.215 हैक. नहरी, 6/2 में 0.038 हैक. गैरमुमकिन रास्ता, 7 ता 10/1.012 हैक. नहरी, 11/1 में 0.038 हैक. नहरी, 12 ता 14/0.759 हैक. नहरी, 15/1 में 0.215 हैक. नहरी, 15/2 में 0.038 हैक. गैरमुमकिन रास्ता इस प्रकार कुल 3.580 हैक. नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में वादीगण के पिता जुम्मासिह पुत्र श्री फूमनसिह की जाति हरिजन के स्थान पर जाति बावरी दर्ज कर, वादीगण को जुम्मासिह पुत्र फूमनसिह के नाम के उक्त राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी भूमि के 1/5, 1/5 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाता है व इसीनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिया जाता है।

नोज .....X..... मुबलिग .....X..... बाबत .....X..... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह .....X..... फस्दो की पालना .....X..... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनाक 16.01.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.21 16:08:48 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)